भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 756
26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तपेदिक रोधी उपचार

756. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षो के दौरान देश में तपेदिक रोधी उपचार की दवाओं (एटीटी) की बार-बार कमी होने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने देश में विशेषकर अत्यधिक बोझ वाले राज्यों में उक्त मुद्दे के तत्काल समाधान के लिए कोई तंत्र अपनाया है और व्यवस्था की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) राज्यों को स्वयं तपेदिक की दवाओं की खरीद करने में पेश आ रही चुनौतियों का राज्य- वार ब्यौरा क्या है;
(घ) तपेदिक दवाओं की कमी का सामना कर रहे जिलों की राज्य-वार सूची क्या है; और
(ङ) राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के अनुसार एटीटी दवा की कमी से उत्पन्न रुकावटों के कारण अधिक बोझ वाले राज्यों के लिए उपचार के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): तपेदिक रोधी औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के महत्वपूर्ण घटक हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्टॉक स्तरों की निगरानी के लिए नियमित मूल्यांकन करता है। तपेदिक रोधी औषधियों के भंडार की आपूर्ति के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय स्तर से नियमित धनराशि जारी करने के आदेश/स्थानांतरण आदेश जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीमित मात्रा में तपेदिक रोधी औषधियों की स्थानीय खरीद के लिए एनएचएम के तहत संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि किसी भी आकस्मिक मांग को तुरंत पूरा किया जा सके।

*****